न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 243/2015 **दायरा दिनांक : 05.10.2015**

उनवान

1 छीतरलाल पुत्र जमनालाल जाति लुहार

2 औमप्रकाश पुत्र जमनालाल जाति लुहार

3 नैमीचंद पुत्र जमनालाल जाति लुहार

4 कांतिबाई पुत्री जमनालाल जाति लुहार

5 नर्बदीबाई पुत्री जमनालाल जाति लुहार

6 मांगीबाई बेवा जमनालाल जाति लुहार

निवासीगण किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1.मोहनलाल पुत्र औंकारलाल जाति तेली

2 टीकमचंद पुत्र औंकारलाल जाति तेली

3 माणकचंद औंकारलाल जाति तेली निवासीगण पुराने थाने के पास किशनगंज तह0 किशनगंज जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 244/2015 **दायरा दिनांक : 05.10.2015**

उनवान

1 छीतरलाल पुत्र जमनालाल जाति लुहार

2 औमप्रकाश पुत्र जमनालाल जाति लुहार

(महेन्द्र लोढ़ा)

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा (राज.)

3 नैमीचंद पुत्र जमनालाल जाति लुहार

4 कांतिबाई पुत्री जमनालाल जाति लुहार

5 नर्बदीबाई पुत्री जमनालाल जाति लुहार

6 मांगीबाई बेवा जमनालाल जाति लुहार

निवासीगण किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1 श्योजी पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी रानीबडोद

2 केदारीबाई पुत्री मांगीलाल जाति माली पत्नी लालचंद जाति माली निवासी महरावता तह0 किशनगंज जिला बारा

3 कौशल्या पुत्री मांगीलाल जाति माली निवासी रानीबडोद

4 उर्मिला पुत्री मांगीलाल जाति माली पत्नी कन्हैयालाल निवासी फतेहपुर तह0 बारां जिला बारां

5 जगदीश प्रसाद पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी रानीबडोद

6 पुष्पाबाई पुत्री गोमदी, बिरधीलाल पत्नी प्रभुलाल जाति माली निवासी शोभागपुरा तह0 किशनगंज

7 धासिबाई पुत्री गौमदीबाई, बिरधीलाल जाति माली पत्नी नेनगी लाल निवासी नारेडा तह0 बारां

8 बद्रीलाल पुत्र गजानंद, बिरधीबाई जाति माली निवासी रानीबडोद

9 रूपनारायण पुत्र गजानंद, बिरधीबाई जाति माली निवासी रानीबडोद तह0 किशनगंज

10 धासीबाई पुत्री गजानंद, बिरधीबाई पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी टारडीखेडा तह0 अंता

(महेन्द्र लोढा)
अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

11 अनोखाबाई पुत्री गजानंद, बिरधीबाई जाति माली निवासी रानीबडोद तह0 किशनगंज जिला बारां

12 राजेन्द्र पुत्र जानकीलाल जाति माली निवासी रानीबडोद

13 ललताबाई पुत्री जानकीलाल पत्नीरामप्रसाद जाति माली निवासी कोयला तह0 बारां

14 कलावती पुत्री जानकीलाल पत्नी धनश्याम जाति माली निवासी कुण्डी तह0 किशनगंज बारा

15 सत्यनारायण पुत्र गजानंद जाति माली निवासी रानीबडोद

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ.पी. मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.12.2020

दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी,किशनगंज के प्रकरण संख्या 22/2008 तथा 23/2008 निर्णय दिनांक 30.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प रानीबडोद में उक्त उनवानी इजराय मियाद के बिन्दु पर निरस्त की गई है जबकि निर्णय दिनांक 27.12.96 से इजराय प्रस्तुत की दिनांक 26.09.08 को 12 वर्ष नही हुये है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण धारणा बनामर विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो के विपरीत निर्णय दिनांक 30.07.15 पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(महेन्द्र लोढा)
...अधिकारी
एवं
...अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक 27.12.96 से प्रस्तुत इजराय दिनांक 26.09.08 तक 11 साल 8 माह 29 दिन होते है इस प्रकार 12 वर्ष पूर्ण नहीं हुये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बाहर गलत रूप से मानी गई है जबकि इजराय की मियाद 12 वर्ष है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद की अवधि विधि सम्मत निकालने मे भारी भूल की गई है तथा गलत रूपसे 30.07.15 को निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे तहसीलदार किशनगंज द्वारा पत्र कमांक राजसव/15/353/दिनांक 23.04.15 से राजस्व रिकार्ड में अन्तर होना बताया गया है जबकि रेकार्ड में आज भी रेस्पो0 के नाम आराजित है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट जिसे तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया गया है उसको कारण मानते हुये मियाद के बिन्दु पर निरस्त किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धातो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.09.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इजराय की अवधि 12 वर्ष होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इजराय खारिज कर दी। वर्तमान रेकार्ड व डिकी के आदेश में भी अंतर है। डिकी की अपील भी नहीं हुई है। अतः इजराय की पालना कराये तथा यदि आपत्ति हो तो सुन कर फैसला करे।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्तमान रेकार्ड व डिक्री के आदेश में अंतर बताया है लेकिन अंतर बाबत् कोई कारण अंकित नहीं किया है, जो विधिनुकूल नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 243/2015 एवं 244/2015 स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारों को यदि कोई आपत्ति हो तो सुनवाई कर, रेकार्ड का गहन अवलोकन कर, नये सिरे समुचित निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–02–2021 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा